न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 50/2014

वादीगण :-

1. मैनादेवी पत्नी दूदाराम
2. नरपतराम
3. गिरधारीलाल
4. किशोर पिसरान दूदाराम
5. ममता पुत्री दूदाराम
6. ओगडराम
7. सलुराम पिसरान भंवरलाल
8. संतोष पुत्री भंवरलाल
9. पतासी पत्नी चुन्नीलाल
10. शोभा पुत्री चुन्नीलाल सभी जातियान सरगरा निवासीगण ग्राम बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. कानाराम
2. मदनलाल
3. धन्नाराम
4. सोनाराम पिसरान मोहनराम
5. गेन्दादेवी
6. पपूदेवी पुत्रिया मोहनराम सभी जातियान सरगरा निवासीगण ग्राम बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :- वादी - श्री भागीरथ सिंह सोढा एडवोकेट।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 - श्री एच आर प्रजापत एडवोकेट।

प्रतिवादी संख्या 7 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 21/01/15

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 ग्राम बरना के मूल निवासी है एवं एक ही परिवार के वंशज है जिनका सजरा खानदान वाद के पैरा सं. 1 में वर्णित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की पैतृक कृषि भूमि ग्राम बरना तहसील बिलाडा में खसरा नंबर 806 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 807 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 1466 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 1487 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 1489 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा आई हुई है। इसी प्रकार खसरा नंबर 1451 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 1511 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 43/2 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 63 बीघा 05 बिस्वा आई हुई है। उक्त वर्णित आराजी में 1/2 वादीगण का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 6 का नियत है, जो उक्त वर्णित सजरा खानदान के अनुसार निहित है एव वादीगण उक्त हिस्से अनुसार ही अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त कार्य कर अपना जीवनयापन करते आ रहे है। वादी सं. 1 से 5 के पिता व वादी सं. 6 से 8 के पिता का देहान्त हो जाने के कारण पारिवारिक आर्थिक स्थिति

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

कमजोर हो गई। जिस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण हैरान व परेशान कर रहे है व काश्त कार्य में विघ्न बाधा डाल कर काश्त कार्यों में बाधा पहुंचाकर वादीगण को क्षति कारित कर रहे है व वादीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में सुधार कार्य भी नहीं करने दे रहे है। जिस कारण वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि में बंटवाड़ा करवाने की कार्यवाही करने हेतु न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। खसरा नं. 43/2 रकबा 04 बीघा 05 पांच भी पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है एवं इस खेत में भी वादीगण का 1/2 हक हिस्सा निहित है एवं जिस पर वादीगण का कब्जा आज भी मौजूद है। जिसमें फसल बोयी हुई है एवं जिसके फोटोग्राफ भी वादपत्र के साथ में संलग्न है इस खेत में वादीगण को 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण ने दिनांक 25-7-2014 को वादी सं. 1 अपने खेत में जब खेत बुआने गई तो वादीगण ने उसके साथ टंटा फिसाद किया व मारपीट की व धमकी दी कि वादीया को उनके हिस्से की जमीन पर काश्त कार्य नही करने देगें। जिस कारण वादीया को अपने हक हिस्से का बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद पेश करना पड़ा है। वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय चुन्नीलालजी के वारिसान जो वादीगण है का 1/2 हक हिस्सा है एवं जिसमें हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाकर अलग से तरमीम करवाकर अपनी भूमि पर सुधार कार्य करवाकर अपनी कृषि आय बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त भूमि का बंटवाड़ा विधिवत् सभी पक्षों को रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करवा दिया जावें जिसे कि भविष्य में सभी पक्षकारों को काश्त कार्य करने में असुविधा नहीं रहे। प्रतिवादी सं. 7 सात भूमिधारी है एवं वाद बंटवाड़ा का होने के कारण फोरमल पक्षकार है एवं उनके विरूद्ध अन्य कोई सहायता नहीं चाही गई है। वाद कारण दिनांक 25-7-2014 पचीस जुलाई दो हजार चौदह को वादीया के साथ प्रतिवादीगण द्वारा अपने खेत में काश्त कार्य करने पर मारपीट करने व आईन्दा काश्त नहीं करने देने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ जिस पर वाद अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण की प्रार्थना निम्न प्रकार है कि खसरा नं. 4312 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भी पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है एवं इस खेत में भी वादीगण का 1/2 हक हिस्सा निहित है एवं जिस पर वादीगण का कब्जा आज भी मौजूद है। जिसमें फसल बोयी हुई है एवं जिसके फोटोग्राफ भी वादपत्र के साथ में संलग्न है इस खेत में वादीगण को 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का बाइ मिड्स एण्ड बाउण्ड्स उक्त वर्णित अनुसार बंटवाड़ा करवाया जावें एवं वादीगण का भी अलग-अलग भी सजरा खानदान अनुसार बंटवाड़ा कराया जावे, अर्थात् वादी सं. 1 से 5 में 1/2 में 1/4 हिस्सा, वादी सं. 6 से 8 का 1/2 में 1/4 हिस्सा व वादी सं. 9 का 1/2 में 1/4 हिस्सा व वादी सं. 10 का भी 1/2 में 1/4 हिस्सा बंटवाड़ा बाइ मिड्स एण्ड बाउण्ड्स से कराया जाकर तरमीम करने का आदेश प्रदान करावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में कृषि कार्य करने में किसी प्रकार से दखलअन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही अन्य से करावें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 एक से 6 छह से दिलाया जावें व अन्य सहायता जो न्यायायल उचित समझे वादीगण को दिलाई जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से श्री हिम्मताराम प्रजापत अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल

किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया जाता है। **प्रतिवादी सं. 7 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता** नहीं है। पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा वाद का खण्डन नही होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र मैनादेवी पत्नी दूदाराम जाति सरगरा निवासी बरना का पेश किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र पर मनन किया गया। वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 के खसरा नंबर 806, 807, 1100, 1370, 1462, 1466, 1487 व 1489 में वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादीगण के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के खसरा नंबर 1451 व 1511 में वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादीगण के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये म्यूटेशन सं. 2325 के इन्द्राज हुआ। इसी प्रकार नामान्तकरणस सं. 2155 के जरिये वादीया मैनादेवी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। वादीगण द्वारा खसरा नंबर 43/2 को पैतृक संपति मानते हुए खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु वादपत्र के सलंग्न राजस्व जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के खसरा नंबर 43/2 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा में मोहनराम जाति सरगरा के नाम से राजस्व रेकर्ड इन्द्राज है। उपरोक्त जमाबंदी में वादीगण के पति/पिता का नाम कई इन्द्राज नहीं है। इससे पूर्व जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में भी मोहनराम पुत्र नाराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह विदित हो कि राजस्व ग्राम बरना के खसरा नंबर 43/2 वादीगण की पैतृक सम्पति हो। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से वादपत्र को खारिज किया जाना उचित समझते है।

:– आदेश –:

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दस्तावेजात के अभाव में खारिज किया जाता है। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/15 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मैनादेवी		कानाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 50/2014

निर्णय **दिनांक :-** 21/04/20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथसिह सोढा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री एच आर प्रजापत अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 7 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दस्तावेजात के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व षरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/4/20 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा